



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 29 सितम्बर, 2021

आश्विन 7, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2023/9-1-2021-19 सा-13

लखनऊ, 29 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

प0आ0-353

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 56 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्तम्भ-3 में अंकित निकाय के अध्यक्ष/सदस्य/पार्षद का पद उनके सम्मुख उल्लिखित कारण/तिथि से रिक्त हो गया है :-

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	वार्ड सं०	अध्यक्ष/सदस्य का नाम	मृत्यु/त्याग-पत्र का दिनांक
1	देवरिया	नगर पालिका परिषद गौरा बरहज		श्री उमाशंकर सिंह (अध्यक्ष)	13-08-2021 (अध्यक्ष पद पर अनर्ह होने के कारण)
2	देवरिया	नगर पालिका परिषद गौरा बरहज	15	श्री विजय कुमार निषाद (सदस्य)	30-04-2021 (मृत्यु)
3	देवरिया	नगर पंचायत भटनी बाजार	07	श्री अविनाश सिंह (सदस्य)	05-05-2021 (मृत्यु)

आज्ञा से,

डॉ० रजनीश दुबे,

अपर मुख्य सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 377 राजपत्र (हि०)-2021-(850)-599+40=639 प्रतियाँ (क०/टी०/ऑफसेट)।